न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 12/2021 **दायर दिनांकः 18/03/2021**

उनवान

1. पप्पूलाल आयु 48 वर्ष पुत्र गोरूलाल जाति सहरिया निवासी हरनावदा तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 18/11/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 66 के ख0नं0 3 का रकबा 2.24 है0, ख0नं0 545 का रकबा 1.82 है0, ख0नं0 546 का रकबा 0. 02 है0 गै0मु0 चाह कुल किता 3 का रकबा 4.08 है0 में प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरया उर्फ गोरीलाल दर्ज है व खाता संख्या 70 का ख0नं0 151 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 155 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 157 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.11 है0 में मांगीलाल पुत्र गोप्या दर्ज है एवं खाता संख्या 71 के ख0नं0 155/569 का रकबा 0.01 है कुल किता 1 का रकबा 0.01 है0 में मांगीलाल पुत्र गोरीलाल दर्ज खाता है उक्त आराजी प्रार्थी एवं उसके भाई भंवरलाल के शामलाती दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी नवीन खाता संख्या 66, 70 एवं 71 साथ में संलग्न है। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी का नाम खाते में गलती से पप्पूलाल के स्थान पर मांगीलाल व प्रार्थी के पिता का नाम गलती से गोरूलाल के स्थान पर गोप्या व गोरीलाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम पप्पूलाल व प्रार्थी के पिता का सही नाम गोरूलाल है प्रार्थी के जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक तथा ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम पप्पूलाल व उसके पिता सही नाम गोरूलाल दर्ज हैं दस्तावेजों की प्रतिया साथ में संलग्न है।

आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा प्रार्थी का नाम पप्पूलाल के स्थान पर मांगीलाल व प्रार्थी के पिता का नाम गोरूलाल के स्थान पर गोप्या व गोरीलाल दर्ज करने की त्रुटि की हैं जिसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम पप्पूलाल के स्थान पर मांगीलाल व प्रार्थी के पिता का नाम गोरूलाल के स्थान पर गोप्या व गोरीलाल दर्ज करने की त्रुटि आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने की है इसलिए प्रार्थी आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा की गई त्रुटि को सही करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने उक्त वर्णित आराजी में नाम मांगीलाल पुत्र गोप्या व गोरीलाल के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र गोरूलाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को दिया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मोखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र गोप्या व गोरीलाल के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र गोरूलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 66 के ख0नं0 3 का रकबा 2.24 है0, ख0नं0 545 का रकबा 1.82 है0, ख0नं0 546 का रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह कुल किता 3 का रकबा 4.08 में पप्पु उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरया के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र गोरूलाल, खाता संख्या 70 का ख0नं0 151 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 155 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 157 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.11 है0, खाता संख्या 71 के ख0नं0 155/569 का रकबा 0. 01 है कुल किता 1 का रकबा 0.01 है0 में मांगीलाल पुत्र गोरीलाल के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र गोरूलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074–2077 ग्राम हरनावदा के खाता संख्या 66 में सहखातेदार पप्पु उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरया उर्फ गोरीलाल दर्ज है। खाता संख्या 71 में सहखातेदार मांगीलाल पुत्र गोरीलाल दर्ज है। खाता संख्या 70 में सहखातेदार मांगीलाल पुत्र गोप्या दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की पास बुक में पप्पु सहरिया पुत्र गौरूलाल दर्ज है। परिवार राशन कार्ड, जोब कार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र गोरूलाल दर्ज है। भामाशाह कार्ड में पप्पूलाल दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती के प्रमाण पत्र दिनांक 17.03.2021 अनुसार प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरया उर्फ गोरीलाल का सही नाम पप्पूलाल पुत्र गोरूलाल है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 66 के ख0नं0 3 का रकबा 2.24 है0, ख0नं0 545 का रकबा 1.82 है0, ख0 नं0 546 का रकबा 0.02 है0 गै0 मु0 चाह कुल किता 3 का रकबा 4.08 में सहखातेदार पप्पु उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरया उर्फ गोरीलाल के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र गोरूलाल उर्फ गोरीलाल, खाता संख्या 70 का ख0नं0 151 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 155 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 157 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.11 है0 सहखातेदार मांगीलाल पुत्र गोप्या के स्थान पर पप्पूलाल उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरूलाल उर्फ गोप्या, खाता संख्या 71 के ख0नं0 155/569 का रकबा 0.01 है कुल किता 1 का रकबा 0.01 है0 में मांगीलाल पुत्र गोरीलाल के स्थान पर पप्पूलाल उर्फ मांगीलाल पुत्र गोरूलाल उर्फ गोरीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां